Commercial Circular No. 42/2010

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

......

No. 2007/TG-V/21/53 New Delhi, dated 01 .09.2010

The Chief Commercial Managers,
All Indian Railways.

Sub: Strengthening of Central Ticket Checking Squad of Railway Board.
Ref: Railway Board's letters number 81/TC/21/1 dated 16.7.2002 and 12.12.2002 (Policy Circular No. 104/2002).

Central Ticket Checking Squad of Railway Board is functioning as a specialist body in coordinating the ticket checking activities as also in detecting ticketing frauds. The squad also gains importance due to the utmost necessity of monitoring and coordinating various field functions. In addition, the ticket checking staff of this squad is also used for monitoring on-board services for bringing about overall improvement in the on-board services commensurate with the increasing expectations of the travelling public.

2. The above duties entail a lot of responsibility and field knowledge which can only be gathered through long years of working on the Railways. There is a requirement of ticket checking staff having sizeable experience in ticket checking, for working in the CTC squad on attachment basis. They will continue to draw their pay and allowances from their HQ while working in the squad.

3. In supersession of the instructions contained in the above referred letters dated 16.7.2002 and 12.12.2002, the eligibility criteria for ticket checking staff to work in CTC squad, will now be as under:-

(i) Should be in the grade pay of ₹ 4200/- or above and should have worked for minimum period of three years in the ticket checking cadre in the grade pay of ₹ 4200/- (VIth CPC);
(ii) Should be clear from SPE, Vigilance and D&AR angle;
(iii) Must be courteous in his behaviour but firm and tactful in dealing with passengers;
(iv) Should have an aptitude and flair for conducting checks regarding on-board services;
(v) Should have fairly good knowledge of rules and instructions issued from time to time and its application;
(vi) Should have an ability to draft and submit brief reports; and
(vii) Should not have worked in the CTC squad of Railway Board in the past.

Contd............

4. In addition, a ceiling limit of maximum 05 (five) ticket checking staff from one zonal railway working in the CTC squad at a time is also fixed, which may be kept in view while sending the applications.

5. It is, therefore, requested that the applications of interested and suitable eligible ticket checking staff who fulfil the above prescribed eligibility norms, along with their D&AR/Vigilance/SPE clearance should be sent with the personal approval of the CCM of the Zonal Railway to this office for consideration so as to reach latest by 06.10.2010.

5.1 Since the eligibility criteria have been revised, the applications already forwarded to Railway Board in accordance with the previous letters dated 16.7.2002 and 12.12.2002, are not being considered.

Please acknowledge receipt of this letter.

(O.P.Chawla)
Director Traffic Commercial (General),
Railway Board.

वाणिज्य परिपत्र सं.42/2010

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. 2007/टी जी V/21/53

रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक : 01 .09.2010
Rail Bhavan, New Delhi, Dated

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.

विषय : रेलवे बोर्ड के सेंट्रल टिकट चैकिंग दस्ते को सुदृढ़ करना.
संदर्भ : रेलवे बोर्ड के दिनांक 16.07.2002 तथा 12.12.2002 का पत्र सं.81/टीसी/21/1 (पॉलिसी परिपत्र सं.104/2002).

रेलवे बोर्ड का सेंट्रल टिकट चैकिंग दस्ता विशेषज्ञ निकाय के रूप में टिकट चैकिंग कार्यकलापों का समन्वय करने तथा टिकटों की जालसाजी का पता लगाने का काम कर रहा है. इस दस्ते का मॉनीटरिंग की उच्चतम आवश्यकता तथा विभिन्न फील्ड कार्यों का समन्वय करने के कारण भी महत्व है. इसके अतिरिक्त यात्रियों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं के अनुरूप ऑन-बोर्ड सेवाओं में समग्र सुधार लाने के लिए ऑन-बोर्ड सेवाओं की मॉनीटरिंग के लिए भी इस दस्ते के टिकट चैकिंग कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जाता है.

2. उपर्युक्त ड्यूटियों में काफ़ी जिम्मेदारी होती है तथा फील्ड का ज्ञान अपेक्षित है, जो रेलों पर कई वर्ष काम करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है. सेंट्रल टिकट चैकिंग दस्ते में अटैचमेंट के आधार पर काम करने के लिए ऐसे टिकट चैकिंग कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिन्हें टिकट चैकिंग में काफ़ी अनुभव हो. दस्ते में काम करते समय वे अपने मुख्यालय से अपना वेतन एवं भत्ता लेते रहेंगे.

3. दिनांक 16.07.2002 तथा 12.12.2002 के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, सेंट्रल टिकट चैकिंग दस्ते में काम करने के लिए टिकट चैकिंग कर्मचारियों के लिए पात्रता मानदंड अब निम्नानुसार होंगे :-

(i) उन्हें रू. 4200/- अथवा इससे अधिक के ग्रेड पे में होना चाहिए तथा उन्होंने टिकट चैकिंग संवर्ग में कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए रू. 4200/- के ग्रेड पे (छठा केंद्रीय वेतन आयोग) में काम किया हो.

..2/-

(ii) उनके विरूद्ध एसपीई, सतर्कता तथा अनुशासन एवं अपील नियम संबंधी कोई मामला नहीं चल रहा हो.

(iii) उनका व्यवहार शिष्ट हो तथा यात्रियों के साथ व्यवहार- कुशल हो तथा अपनी बातों को मजबूती से रखें.

(iv) ऑन-बोर्ड सेवाओं से संबंधित जाँचें करने के लिए उनमें अभिरुचि तथा योग्यता हो.

(v) उन्हें समय-समय पर जारी किए गए नियमों तथा अनुदेशों तथा उन्हें लागू करने का बेहतर ज्ञान हो.

(vi) उनमें ड्राफ्ट तथा सार रिपोर्टें प्रस्तुत करने की क्षमता हो.

(vii) उन्होंने विगत में रेलवे बोर्ड के सेंट्रल टिकट चैकिंग दस्ते में काम न किया हो.

4. इसके अतिरिक्त, एक समय में सेंट्रल टिकट चैकिंग दस्ते में काम करने के लिए एक क्षेत्रीय रेलवे से 05 (पाँच) टिकट चैकिंग कर्मचारियों की अधिकतम सीमा भी निर्धारित है, आवेदन भेजते समय इसे ध्यान में रखा जाए.

5. अत: अनुरोध है कि इच्छुक एवं उपयुक्त पात्र टिकट चैकिंग कर्मचारियों जो उपर्युक्त निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हो, के आवेदन उनकी अनुशासन एवं अपील नियम/सतर्कता/एसपीई क्लीयरेंस के साथ क्षेत्रीय रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के निजी अनुमोदन से 06.10.2010 तक इस कार्यालय के विचारार्थ भेज दिए जाने चाहिए.

5.1 चूँकि पात्रता मानदंड संशोधित कर दिए गए हैं, दिनांक 16.07.2002 तथा 12.12.2002 के पूर्व पत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड को पहले अग्रेषित किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा है.

कृपया इस पत्र की पावती दें.

ओ.पी.चावला

(ओ.पी.चावला)
निदेशक,याता. वाणिज्य (सा.),
रेलवे बोर्ड.

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\G-1 sita.doc